

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

13-6-18

पत्रावली न्याय आपके डार राजाव लोक अदालत
रायबका में पेश हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी
का प्राइमरिफेसल केस सुविधा का मनुलम एवं
नाप्रति क्षति होना साबित होता है।

अतः अप्रार्थी को ता फौजला बाद
पावम्द किया जाता है कि विवादित आराजी (कस
नम्बर 655, 956, 957 वाले ग्राम रायबका
में प्रार्थी के हिस्से तक रहन वेप नही करे।
पत्रावली फौजला सुभार होकर नम्बर में कम हो।
त्रिलग्न मूलवाद रहे।

दलर सिंह

एडवोकेट

बैंच सदस्य

गजस्थ लोक अदालत

मदन लाल गायल

सेवानिवृत तहसीलदार

बैंच सदस्य

गजस्थ लोक अदालत

नीलाम सक्सेना

I.A.S.

अखण्ड अधिकारी, अलवर